न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 128/2011 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र गोपाल जाति नाई निवासी कोटसुवा
2. नाथूलाल पुत्र गोपाल जाति नाई निवासी कोटसुवा तहसील दीगोद जिला कोटा
3. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया डुगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह राजकीय अभिभाषक
2. श्री महावीर प्रसाद सैन (अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1 व 2)
3. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अप्रार्थी नं0 3)

प्रार्थना पत्र धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक :30.12.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि आराजी गत खसरा नं0 536 की 9 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 818 रकबा 1.51 हैक्टर ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद में है । उक्त खसरा नं0 की मुताबिक एकीकरण सेटलेन्ट खतौनी सम्वत 2013–2032 मे खसरा सरकार के खाते मे दर्ज थी एवं किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी । उक्त आराजी नामान्तकर्ता सं0 64 दिनांक 04.05.1968 मे गोपाल पुत्र रामसुख जाति नाई निवासी कोटसुवा के नाम दर्ज हो गई । नामा0 सं0 576 दिनांक 05.08.2010 से गोपाल के वारिस का नाम दर्ज हुआ । नामा0 सं0 59 दिनांक 24.12. 2010 से विभाजन आपसी सहमति दर्ज हुआ । नामा0 सं0 637 से रहन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डूंगरज्या दर्ज हुआ । उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि है । जिसकी खातेदारी दीगर व्यक्तियों के नाम नही हो सकती है । इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8. 2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प0010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनाक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 39 सम्वत् 2064–2067 को प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी

की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से श्री महावीर प्रसाद सेन एड0 द्वारा वकालतनामा पेश किया व अप्रार्थी नं0 3 की ओर से श्री घनश्याम नागर एड0 द्वारा वकालतनामा पेश किया गया ।

3. अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा विशेष आपत्तियों में कथन किया कि प्रतिपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत यह कार्यवाही प्रार्थना पत्र कानून न्याय व तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । आवंटी गोपाल आ0 रामसुख को उक्त भूमि नियमानुसार आवंटन की गयी है इस भूमि मे गैर मुमकिन तलाई मौजूद नही थी और न ही वर्तमान मे मौजूद है । उक्त भूमि आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी मे आती थी। उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के विपरीत नही है । उक्त भूमि का आवंटी के पक्ष मे भूमि आवंटन एवं गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण नियमानुसार पारित किया है । आवंटी की मृत्यु के उपरान्त वारिसान के नाम इंतकाल तस्दीक किया है वह विधि सम्मत है । आवंटी तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान व प्रतिपक्षी उक्त भूमि पर गत कब्जा काश्त करते चले आ रहे है । आवंटी व प्रतिपक्षीगण ने काफी रकम विनियोजित कर भूमि को समतल कराया तथा प्रतिपक्षी नं0 3 से ऋण प्राप्त किया हुआ है । आवंटी को भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात इतने लम्बे अन्तराल के उपरान्त 47 वर्ष पश्चात उक्त नामा0 निरस्त नही किया जा सकता इस आधार पर प्रार्थी द्वारा की गयी कार्यवाही खारिज होने योग्य है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. राजकीय अभिभाषक व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाते है कि ग्राम **अतरालिया तहसील दीगोद जिला कोटा** के गत खसरा नम्बर **536** हाल खसरा नम्बर **818** जमाबन्दी सम्वत् **2064 से 2067** तक में खाता नम्बर **39** पर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम **अतरालिया तहसील दीगोद** के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी **2013–2032** में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन **तलाई** दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3, राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 के क्रम में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 39 सम्वत् **2064–2067** की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में दर्ज करने एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन **तलाई** पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने हेतु तहसीलदार **दीगोद** द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत रेफरेन्स श्री मान निवन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा